

## प्रमाण पत्र

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित भूमि के स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण\_मोटर मार्ग के नव निर्माण में आ रही वन भूमि 1.5225 हेए के दोगुने क्षेत्रफल 3.045 हेए सिविल सोयम भूमि जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नियमानुसार निर्धारित की गई है। यह भूमि वर्तमान में राजस्व विभाग के कब्जे में है एवं विवादरहित है। उक्त भूमि वन भूमि के सैद्धान्तिक स्वीकृति के प्राप्त होने के उपरान्त वन विभाग को हस्तान्तरित एवं नामांतरित कर दी जायेगी।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:

ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल
बगोडी	2979	5.008 हेए
योग-		5.008 हेए में से 3.045 हेए

हेए  
उपरान्तरित  
किया गया

तहसीलदार,  
तहसीलपत्रक ।

उपजिलाधिकारी  
द्वाण्डा उत्तरकाशी

हेए  
उपजिलाधिकारी निर्माण खण्ड लो० फि  
शिवगामी जाइ